हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : exam@durguniversity.ac.in *वेब साइट : www.durguniversity.ac.in* *दूरभाष : 0788-2359300*

क्र. 1731 / परीक्षा / वार्षिक / 2020 दुर्ग, दिनांक 13.03.2020

प्रति,

प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष,
सम्बद्ध समस्त परीक्षा केन्द्र / महाविद्यालय,
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विषयः— **वार्षिक परीक्षाएं सत्र 2019—20 संबधी निर्देश।**

संदर्भः— कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्र. 65 / आउशि / 2020 नया रायपुर, दिनांक 13.03.2020।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निम्नांकित निर्देश जारी किए जा रहे हैं:—

1. **दिनांक 14.03.2020 से 31.03.2020 तक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक भाग—01 व भाग—02 तथा स्नातकोत्तर भाग—01 / (पूर्व) की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।**
2. इस अवधि में आयोजित होने वाली स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर (अंतिम) की परीक्षाएं पूर्व घोषित समय सारणी के अनुसार यथावत आयोजित की जावेंगी।
3. महाविद्यालयों में परीक्षा संचालन हेतु संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।
4. जिन कक्षाओं की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उनके प्रश्नपत्रों के सीलबंद लिफाफे सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
5. दिनांक 14.03.2020 से 31.03.2020 तक स्थगित होने वाली परीक्षा की सूचना समस्त शैक्षणिक / गैरशैक्षणिक स्टॉफ तथा परीक्षार्थियों को एस.एम.एस. / दूरभाष / समाचार पत्रों / सूचना पटल के माध्यम से प्रसारित करने की व्यवस्था कराएं।
6. अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in का अवलोकन करते रहें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः— कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र की छायाप्रति।

आदेशानुसार

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्र. 1732 / परीक्षा / वार्षिक / 2020 दुर्ग, दिनांक 13.03.2020

प्रतिलिपिः—

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ0ग0)।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन।
3. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक—सी—30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, 492002 (छ0ग0)।
5. जिलाधीश, दुर्ग / बालोद / बेमेतरा / कबीरधाम / राजनांदगांव।
6. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग / बालोद / बेमेतरा / कबीरधाम / राजनांदगांव।
7. उ.कु.स., गोपनीय / परीक्षा / वित्त नियंत्रक / अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
8. कुलपति के सचिव / निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
9. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र, को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आगामी अंक में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

उपकुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक–03, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 65 / आ.उ.शि. / 2020 नवा रायपुर, दिनांक 13 / 03 / 2020

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय (शासकीय एवं अशासकीय),
छत्तीसगढ़

प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय (शासकीय एवं अशासकीय),
छत्तीसगढ़

विषय– नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में।

संदर्भः – इस कार्यालय का पत्र क्र. 62–63 / आ.उ.शि. / 2020 दिनांक 12.03.2020

----00----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को 31 मार्च, 2020 तक संस्थाएं बंद रखने एवं वार्षिक परीक्षा संचालित करने का निर्देश जारी किया गया था। उक्त पत्र के तारतम्य में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश / स्पष्टीकरण जारी किया जाता है: –

(1.) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक भाग एक एवं भाग दो तथा स्नातकोत्तर भाग– I तथा सेमेस्टर पद्धति में सेमेस्टर I, II एवं III की परीक्षाएं भी स्थगित की जाती हैं। केवल स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष / अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं यथावत आयोजित की जावे।

(2.) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षा संचालन हेतु समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ नियमित रूप से उपस्थित होंगे। केवल कक्षाओं का संचालन स्थगित रखा जायेगा।

(3.) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ को अन्य राज्यों एवं देश के बाहर आयोजित होने वाले वर्कशाप / सेमीनार / शोध संगोष्ठी / सम्मेलन / प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने हेतु पूर्व जारी अनुमतियां निरस्त करते हुए आगामी आदेश तक राज्य से बाहर एवं विदेश प्रवास प्रतिबंधित रखा जाये।

(4.) राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी वर्कशाप / सेमीनार / शोध संगोष्ठी आदि का आयोजन स्थगित रखा जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित की जावे।

13/3

(श्रीमती शारदा वर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 66 / आ.उ.शि. / 2020 नवा रायपुर, दिनांक 13 / 03 / 2020

प्रतिलिपिः –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
6. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग / जगदलपुर / अम्बिकापुर
7. अपर संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।

13/3

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर (छ.ग.)